



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2014/चैत्र 5, 1936

No. 769]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2014/CHAITRA 5, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

का.आ. 898(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश सं. 354(अ) द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा जाएगा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकार प्राप्त समिति के जरिए लॉजिटेक पार्क, मथुरादास वसनजी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई- 400072 में मैसर्स पैन्थियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., मुम्बई द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में अनुमोदन प्रदान किया था।

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80-अक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉजिटेक पार्क, मथुरादास वसनजी रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई- 400072 में मैसर्स पैन्थियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., मुम्बई द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को भारत के राजपत्र, के भाग-II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 17 नवम्बर, 2006 के का.आ. संख्या 4700 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था।

और जबकि, तदन्तर, केन्द्र सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 3 फरवरी, 2014 के पत्र सं. 15/29/2005- आईपी एंड आई डी द्वारा स्कीम के तहत उपक्रम को प्रदान किए गए उक्त अनुमोदन को वापस ले लिया है।

अतः अब केन्द्र सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 80अक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 4700 दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को एतद्वारा 17 नवम्बर, 2006 से रद्द करती है।

[अधिसूचना सं. 20/2014/फा. सं. 178/91/2006-आयकर वि. 1]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2014

S.O. 898 (E).—Whereas, the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) in exercise of the powers under the Industrial Park Scheme, 2002 (hereinafter referred to as the Scheme), as notified vide number S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, through the Empowered Committee, had granted approval to the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Pantheon Infrastructure Pvt. Ltd., Mumbai at Logitech Park, Mathuradas VasANJI Road, Andheri (East), Mumbai-400072, as an Industrial Park;

And, whereas, the Central Government (Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT) in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Act') had notified the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Pantheon Infrastructure Pvt. Ltd., Mumbai at Logitech Park, Mathuradas VasANJI Road, Andheri (East), Mumbai-400072, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, vide number S.O. 4700, dated the 17th November, 2006, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

And, whereas, subsequently the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) vide letter No.15/29/2005-IP&ID dated 3rd February, 2014 has withdrawn the said approval granted to the undertaking under the Scheme;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), hereby rescinds the said Notification No. S.O. 4700, dated 17th November, 2006, with effect from the 17th November, 2006.

[Notification No. 20/2014/F. No.178/91/2006-ITA-I]

SURABHI SHARMA, Under Secy.